ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-3* June- 2021
Anthology : The Research

संगठित अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Organized Crime: A Sociological Study

Paper Submission: 05/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 25/06/2021

दयाशंकर सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजाशस्त्र विभाग,
सकलडीहा पी.जी.कालेज,
सकलडीहा, चन्दौली,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

आधुनिक युग में अपराधों को संगठित रूप में करने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ रही है। संगठित अपराधं दिनों–दिन वृद्धि हो रही है। संगठन केवल वैधानिक और समाजोपयोगी कार्यो के लिए ही नही बनते अपितु अपराधों के लिए भी आजकल संगठन बनाये जाते है। आदिम काल में जंगली जानवरों से रक्षार्थ समूह बनाकर रहने की प्रेरणा मानव के उत्तरोत्तर विकास में अत्यन्त सहायक प्रमाणित हुई है। इस प्रकार समूह के रूप में संगठित होकर कार्य करना मनुष्य की प्रकृति का अनिवार्य अंग बन गया लें।

In the modern era, the tendency to commit crimes in an organized form is increasing continuously. Organized crime is increasing day by day. Organizations are formed not only for legal and social work, but also for crimes, organizations are formed nowadays. In the primitive times, the motivation to live in groups to protect from wild animals has proved to be very helpful in the progressive development of human beings. In this way, working together as a group has become an essential part of human nature.

मुख्य शब्द : संगठित अपराध ,वैधानिक और समाजोपयोगी ,कार्यक्षमता, संगठन
Organized Crime Legal and Sociological Afunctionalities Organization

प्रस्तावना

आज के युग में अपराधों की तकनीक में आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में संगठित अपराध से अभिप्राय उन अपराधों से है जिन्हें दो या दो से अधिक अपराधी संगठित होकर नियोजित ढंग से करते है। संगठित अपराध अन्य अपराधों से इस संदर्भ में भिन्न है कि सामान्य अपराधों में अपराधी किसी विवशता या परिस्थितिवश प्रेरित होकर अपराध करते है। अपराध के लिए उनका कोई निश्चित संगठन नही होता जबकि संगठित अपराध एक संगठित अपराधी–समूह द्वारा नियोजित ढंग से किए जाते है। इस प्रकार के संगठन समूह के अपराधों का आधार रहता है। डॉ. सिंह के अनुसार संगठित अपराध वह अवैधानिक कार्य है जो एक संगठन के व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते है।

आजकल मनुष्य को अपनी सफलता और उपलब्धि के लिए अनेक लोगों का सहारा लेना पडता है इस जटिल समाज में मनुष्यों के विचारों सामाजिक–नैतिक–मूल्यों एवं कार्य करने के ढॅगों में परिवर्तन आया है जिसके परिणामस्वरूप अपराध की तकनीक में भी परिवर्तन आ गये है। वाल्टर सी. रैक्लेस के अनुसार संगठित अपराध संगति अपराध से भी कुछ भिन्न है जो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप घटित होता है। यह अपेक्षाकृत एक अवैधानिक साहस है जो कुछ निश्चित समय तक चलता है और यह सामाजिकों, सहायकों तथा संचालकों का एक संस्तरणात्मक ढॉचा तैयार करता है।सदरलैण्ड के अनुसार संगठन अपराधियों की अन्तःक्रियाओं में बनता है । इस संगठन का औपचारिक सम्बन्ध, मान्य नेता, समझौता, परस्पर समझ और श्रम–विभाजन से हो सकता है अथवा यह अनौपचारिक समानता परस्पर रूचि और मनोवृत्ति की हो सकती है। एक समूह जो वैध उद्देश्य के लिए बना है वह अपराधी समूह में अपरिवर्तित हो सकता है या व्यक्तिगत अपराधी अवैधानिक उद्देश्यों के लिए एक संघ बना सकते है।सेलिन का मत है कि संगठित अपराध उन आर्थिक साहसों अथवा उद्यमों के समानार्थी है जो अवैधानिक गतिविधियों कें संचालन हेतु संगठित किए जाते है और जिन्हें वे जबकि वे वैधानिक साहसिक कार्यो का कार्यान्वयन करते है। अवैधानिक साधनों के द्वारा कार्यान्वित करते है।

अध्ययन का उद्देश्य

समय बीतने के साथ संगठन के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति शक्तिशाली होती चली गयी और आज का युग तो संगठन का युग ही माना जाता है। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि संगठन से कार्यक्षमता बढती है। संगठन द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर योजनाबद्ध रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार करके ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। कभी–कभी तो अपराध की योजना बनाने में वर्षो बीत जाते है। इस तरह के अपराध करने वाले संगठन का एक नेता होता है जो योजना बनाता है और उसे कार्यान्वित करने का आदेश देता है। संगठित रूप में अपराध करने की तकनीक आजकल मनुष्य द्वारा अधिक प्रचलित हो रही है। इसका कारण आज कें समाज की जटिलता है।

संगठित अपराधों की पृष्ठभूमि

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे संगठित अपराधियों के बारे में उल्लेख मिलते है जो बहुमूल्य रत्नों, सोने व चॉदी की चोरी एवं तस्करी के कार्यो में संलग्न रहते थें। तस्करों के इन संगठनों का जाल एक राज्य से दूसरे राज्यों तक फैला रहता था। प्राचीन काल में महिलाओं एवं लडकियों को अपने जाल में फॅसाकर उन्हें वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त करके धनार्जन करने वाले संगठनों का भी अस्तित्व पाया गया है। प्राचीन काल में जन्मा यह रोग आज भी विद्यमान है। यद्यपि मनुष्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है और महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा एवं अधिकार देकर वेश्यावृत्ति को अपराध घोषित किया गया है फिर भी वर्तमान सभ्यता में अनेक बडे–बडे संगठन होटलों मे यह अवैधानिक कार्य घृणित ढंग से चला रहे है। तस्करी का व्यापार जोखिमपूर्ण किन्तु अत्यन्त लाभदायक व्यापार माना जाता रहा है। प्राचीन युग में होने वाले तस्करी के व्यापार की अपेक्षा आधुनिक युग में तस्करी का व्यापार अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो गया है क्योंकि सरकार के पास संचार एवं निगरानी के आधुनिकतम उपकरण व साधन उपलब्ध है। यहॉ कहना अनुपयुक्त नही होगा कि यह व्यापार जितना जोखिमपूर्ण होता जा रहा है इस व्यापार में संलग्न उतने ही सशक्त और व्यापक होते जा रहे है आज तस्करों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो कुछ देशों की सरकारों से भी अधिक सुदृढ बताये जाते है। इस प्रकार के व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को उस व्यापार से सम्बन्धित समस्त आधुनिक जानकारी के साथ–साथ आधुनिकतम वैज्ञानिक साधन भी उपलब्ध है। एक जानकारी के अनुसार अरब सागर में तस्करी का व्यापार करने वाले तस्करों के पास सरकार की अपेक्षा अधिक तीव्रगति वाली नौकाऍ थी। संगठित अपराध प्राचीन काल से ही होते चले आ रहे है। विभिन्न समाजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के संगठित अपराध पाये जाते थे।

संगठित अपराध के प्रकार–

संगठित अपराधों के निम्नलिखित प्रकार है–

चोरी

चोरी का अपराध विभिन्न संगठनो द्वारा अलग–अलग योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इस प्रकार के संगठनों में विभिन्न प्रकार की चोरियों में दक्ष अपराधी कार्यरत रहते है। यह संगठन सामान छिपाकर ले भागने ट्रेन से सामान चुराने, सेंध मारने, बैंक से चोरी करने तथा ऐसे अन्य अपराध करते है। कभी–कभी ये आपराधिक समूह लुटेरों की तरह बलपूर्वक सामान अथवा बैंक से रूपया ले जाने का कार्य भी करते है।

वस्तु का क्रय–विक्रय

कुछ आपराधिक संगठन चोरी की हुई वस्तुओं के क्रय–विक्रय का काम भी करते है। इन संगठनों का सम्बन्ध चोरी करने वाले संगठनों से होता है जिनसे यह माल प्राप्त करते है। इस प्रकार प्राप्त चोरी के माल जैसे आभूषण, फर्नीचर , कार, मोटर साइकिल आदि को यह संगठन उसका स्वरूप परिवर्तित करके बिक्री करता है।

ठगी

ठगी का अपराध भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है परन्तु आधुनिक युग में यह अपराध संगठित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। असली वस्तुओं, दवाओं आदि की नकल वस्तुऍ बनाने के बडे–बडे कारखाने चलाते है और बडे–बडे दुकानदारों तक को उन्हें असली बताकर बेच देते है। भारत में दवाओं, खाद्य–पदार्थो पुर्जो आदि की नकल तथा माल बता कर देशी माल उॅचें भाव पर बेचना आजकल जोरों पर है।

जुआ

संगठित अपराध के रूप में जुआ का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग में अपने विभिन्न रूपों में जुआ लगभग हर राष्ट्र में एक समस्या बना हुआ है। संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले संगठनों को इससे बडी मात्रा में काली कमाई होती है।

सदरलैण्ड महोदय के अनुसार जुआ कानून के विरूद्ध होते हुए भी इसलिए जीवित है कि इसे कानून के अधिकारियों व नियन्त्रणकर्ताओं का संरक्षण सदैव से प्राप्त रहा है। जुआ अनेक प्रकार से संचालित किया जाता है जैसे– सट्टा, मटका, घुडदौड और लॉटरी आदि।

वेश्यावृत्ति

आधुनिक युग में वेश्यावृत्ति को एक संगठित अपराध के रूप में चलाया जा रहा है। अनेक प्रभावशाली आपराधिक संगठन बडे–बडे आलीशान होटलों में यह धन्धा चला रहें है। इस धन्धे को चलाने के लिए ये संगठन समाज कें विभिन्न वर्गो की उन महिलाओं एवं लडकियों से सम्पर्क रखते हैं जिनकी सेवाऍ इन्हें आवश्यकता पडने पर प्राप्त हो सकती है।

धोखाधडी

धोखाधडी का अभिप्राय षड्यन्त्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ अर्जित करना है। आपराधिक संगठन कभी–कभी बडे प्रतिष्ठानों को अपने षड्यन्त्रों का शिकार बनाकर उनसे बडी–बडी रकमें प्राप्त कर लेते है। धोखाधडी में संलग्न अपराधी–समूह कभी–कभी हिंसक अपराधों का भी सहारा लेकर विभिन्न संगठनो पर हावी हो जाते है। और फिर उनका शोषण करते है। इस प्रकार के संगठन का

नेता प्रायः एक प्रभावशाली अपराधी होता है जिसे समाज में भी सम्मान प्राप्त होता है।

तस्करी

आधुनिक युग में तस्कर–व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। तस्करी का यह व्यापार संगठित रूप से किया जाता है। तस्करों के ये संगठन अत्यन्त सक्रिय, व्यापक एवं आधुनिक उपकरणों से युक्त है। इन संगठनों के ये संगठन अत्यन्त सक्रिय, व्यापक एवं आधुनिक उपकरणों से युक्त है। इन संगठनों का विस्तार समुद्र किनारे के सभी देशों में फैला हुआ है जहॉ से अपना व्यापार समुद्र के विस्तृत क्षेत्र का लाभ उठाते हुए करते है। समुद्र–क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उस पर निगरानी रख पाना एक कठिन कार्य है। तस्कर–व्यापार थल–मार्ग से भी किया जाता है जहॉ दो देशों की सीमाऍ मिलती है वहॉ भी इन तस्कर–व्यापारियों के संगठन सक्रिय रहते है। तस्कर–व्यापार में संलग्न ये संगठन इतने व्यापक है कि इन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इन तस्करों के पास अपनी स्वयं की तीव्रगामी नौकाऍ तो है ही साथ ही वे विभिन्न देशों के जहाजों के अधिकारियों को रिश्वत देकर उनकी सेवाऍ भी प्राप्त करते है। तस्कर–व्यापार से राष्ट्र को घातक हानि होती है।

संगठित अपराध की चार श्रेणियां

संगठित अपराध करने वाले समूह में लोगों के कार्यो के स्वरूप के अनुसार ही संगठित अपराधों का स्वरूप भी भिन्न–भिन्न होता है। सदरलैण्ड के मतानुसार संगठित अपराधों को चार श्रेणियों में रख सकते है –

1. अपराधी कार्यरत समूह निर्मित करते है जिसे दल कहते है। इस दल के सभी सदस्य में परस्पर समझौता श्रम–विभाजन तथा कभी–कभी दल के नेतृत्व के लिए झगडा भी होता है। दल के सदस्यों की संख्या दल के कार्यो की प्रकृति के अनुसार होती है।
2. कानून भंग करने वाले लोग इकट्ठे होकर एक जगह बना लेते है। इस अपराधी समूह के सभी सदस्य एक–दूसरे के कार्य में सहयोग करते है व परस्पर सुरक्षा भी प्रदान करते है।
3. कुछ अपराधी–समूह कुछ क्षेत्रों में जुआघर, वेश्यालय एवं मदिरा की अवैधानिक–बिक्रि को नियन्त्रित एंव संचालित करते है।
4. उपर्युक्त तीनों समूहों में परस्पर सहायोग विकसित होता है तथा विधि का क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों से भी इनका सम्बन्ध रहता है।

संगठित अपराधों में संलग्न समूहों के लक्षण

अधिक सदस्य

संगठित आपराधिक समूह में कम से कम दो सदस्य होते है किंतु इनकी अधिकतक संख्या की कोई सीमा नही है। आपराधिक समूह के कार्य की प्रकृति और विस्तार के अनुसार यह संख्या दो से लेकर सैंकडों तक हो सकती है।

श्रेणीबद्ध व्यवस्था

संगठित आपराधिक संगठनों में एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार एक संगठन के प्रत्येक सदस्य तक सभी के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होते है। स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि एक व्यक्ति के संगठन के दूसरे सदस्य के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध होंगे। कभी–कभी बडे संगठन छोटे–छोटे आपराधिक समूहों से भी सम्बन्धित रहते है। यह छोटे समूह बडे संगठनों के प्रति वफादार होते है और उनके निर्देशों का पालन भी करते है। इन छोटे–छोटे समूहों के अनेक समकक्ष नेता हो सकते हैं परन्तु वे सभी बडे संगठन के सर्वश्रेष्ठ नेता कें नेतृत्व एवं आदेशों का पालन करते है।

अपराध का विशेषीकरण

संगठित आपराधिक–समूह सभी प्रकार के अपराध नही करते है अपितु विभिन्न संगठन कुछ विशेष प्रकार के ही अपराध करते है जिनमें वे दक्ष एवं निपुण होते है। इस प्रकार कुछ संगठन लूट–पाट करने में दक्ष है तो कुछ स्मगलिंग में अथवा जालसाजी में किन्तु कभी–कभी एक बडे संगठन कें विभिन्न समूह अलग–अलग अपराधों में भी संलग्न पाये जाते है एक ही आपराधिक संगठन परिस्थिति–विशेष में अपने विशिष्ट अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध भी कर सकता है जैसे कोई संगठन ट्रेन में चोरियों का कार्य कर सकता है प्रायः संगठन अपने अपराध का चयन अपने सदस्यों की आपराधिक दक्षता तथा साधनों के आधार पर ही करता है।

नियोजित अपराध

संगत आपराधिक संगठन अपराध को नियोजित ढंग से करते है। अपराध करने से पूर्व वे उसके सभी पहलुओं पर खूब विचार करते है तथा अपने दल की सुरक्षा के लिए गम्भीरता सोचते–विचारते है। इस प्रकार दल के सदस्यों को उनकी भूमिका और उसमें आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने के सभी निर्देश अच्छी तरह समझा दिये जाते है।

संगठन का नेतृत्व

प्रत्येक संगिठत अपराधी समूह का एक सर्वमान्य नेता होता है। संगठन के सभी सदस्यों को उसमें विश्वास करना होता है वे सभी उसके प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते है। नेता की आज्ञा न मानकर पर कठिन दण्ड दिया जाता है। संगठन का संचालन एवं नियन्त्रण पूर्ण रूप से नेता के हाथ में होता है। संगठन का नेता अपराधों के संचालन एवं तकनीक में विशेष अनुभवी होता है।

प्रबन्ध की गोपनीयता

आपराधिक संगठन के कार्यो के सम्पादन का पूर्ण प्रबन्ध अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है। यद्यपि नेता द्धारा विभिन्न सहयोगियों की योग्यतानुसार उन्हें कार्य सौंपा जात है परन्तु प्रबन्ध की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता हैं। कभी–कभी अलग–अलग समूहों को एक ही योजना को टुकडों में पूरा करना होता है ऐसी स्थिति में एक समूह को अपनी भुमिका के अतिरिक्त दूसरे समूह के बारे में विशेष जानकारी नही दी जाती है कार्यरत

समूहों पर निगरानी भी रखी जाती है कि कही कोई सदस्य समूह की गोपनीयता को समाप्त तो नही कर रहा है। गोपनीयता न रखने अथवा नेता की आज्ञा की उपेक्षा करने वाले को मृत्युदण्ड तक की सजा दी जाती है।

अपराध करने का ढंग

अपराधी संगठन भली–भॉति सोच–विचार कर अपराध की योजना बनाते है और अपराध करने की अपनी नीति एवं ढंग निर्धारित करते है। योजना पर क्रियान्वयन से पूर्व खूब सोच–विचार किया जाता है तथा पूर्ण तैयारी होने के बाद ही उस पर अमल किया जाता हैं।

प्रतिष्ठित वर्ग का संरक्षण

आपराधिक संगठनों को कुछ ऐसे उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संरक्षण भी प्राप्त होता है जो उसकी कार्यवाही में तो भाग नही लेते है परन्तु उन्हें संरक्षण प्रदान करते है। कभी–कभी सरकारी उच्चाधिकारी भी ऐसे कार्यो में संलग्न पाये जाते है। ये व्यक्ति उस संगठन को सरकारी कार्यवाहियों से परिचित कराके उन्हें मदद पहुॅचाते रहते है तथा पकडे जाने पर उन्हें बचाने का पूर्ण प्रयास भी करते है। इसके बदले उन्हें अच्छा खासा हिस्सा भी दिया जाता है।

निष्कर्ष

यह कहा जाता है कि अपराध निर्धनता एवं दरिद्रता की देन है। यह माना जा सकता है कि किसी देश में विद्यमान प्रभावी आर्थिक–निति यदि लचीली एवं दुर्बल होगी तो उसमें अपराध उतने ही अधिक होगे। यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि संगठित अपराध उन देशों भी होते है जो आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। वास्तव में संगठित अपराधों पर आर्थिक–नीति के अतिरिक्त सामाजिक मान्यताओं एवं राजनीतिक नीतियों का प्रभाव पडता है। इस प्रकार संगठित अपराधों को नियन्त्रित करने हेतु हमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों, कानून, नियोजन आदि पर दृष्टिपात करके उनकें संशोधन करने होगे। निम्नलिखित सुझाव है–

1. जो संगठन अपराध करने हेतु एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक कार्यशील है उन्हें समाप्त करने में सम्बन्धित राष्ट्रों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिये।
2. जो सरकारी अधिकारी अथवा सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता आपराधिक संगठन को किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण मदद पहुॅचाते हो उन्हें सख्त सजा दी जाए।
3. आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक नीतियों तथा योजनाओं में परिवर्तन लाया जाय जिससे वे संगठित अपराधियों के लिये घातक प्रमाणित हो सकें।
4. आर्थिक समानता एवं समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाय।
5. गन्दी बस्तियों को समाप्त किया जाय जहॉ इस प्रकार के आपराधिक संगठन कें सदस्य शरण पाते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अपराधशास्त्र एवं दंडशास्त्र तथा सामाजिक विघटन (गूगल पुस्तक य लेखक – रामनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा)*
2. *राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो*
3. *National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)*
4. *International association of professionals specialized in criminology.*
5. *Criminology Mega-Site — Dr. Tom O'Connor (Associate Professor of Criminal Justice, Austin Peay State University)*
6. *आधुनिक अपराधशास्त्र डॉ जी एल शर्मा*
7. *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन डॉ. जे. पी. सिंह,*